

कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा।


क्रमांक:आई.एम.टी.आई. / प्रशिक्षण (6) / 2018-19 / 2370-22

दिनांक 23/10/18

कार्यालय - आदेश

आगामी विधान सभा चुनाव 2018, जो कि 7 दिसम्बर 2018 को प्रस्तावित है, में इस संस्थान के संकाय सदस्यों / अधिकारियों की इयूटी लगा जाने एवं अन्य जिलों में भी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के चुनाव इयूटी व कृषकों के भी आदर्श आचार संहिता के कारण प्रशिक्षण में भाग नहीं लिए जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए 10 अक्टूबर से 09 दिसम्बर 2018 तक इस संस्थान द्वारा आयोजित किये जाने वाले समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

उक्त आदेश मुख्य अभियन्ता एवं महा निदेशक, सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा से पत्रावली की नोटशीट पर दिनांक 16.10.2018 से अनुमोदित है।


  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
23/10/18  
सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा।

क्रमांक:आई.एम.टी.आई. / प्रशिक्षण / (6) / 2018-19 / 2370-22

दिनांक 23/10/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक / उप निदेशक एवं तकनीकी सहायक IMTI कोटा।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण / कृषि) IMTI कोटा।
4. समस्त संकाय सदस्य श्री..... IMTI कोटा।
5. कम्प्यूटर प्रभारी - वेब साइट पर अपलोड हेतु।
6. कनिष्ठ अभियन्ता / श्री त्रिलोक जैन प्रयोगशाला सहायक / श्री एस.एन. दाधीच IMTI कोटा।
7. ...
8. मेस ठेकेदार / होस्टल सुपरवाइजर, IMTI कोटा।
9. नोटिस बोर्ड - संस्थान 1 एवं 2 तथा होस्टल नम्बर 1 एवं 2

  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा।  
23/10/18